न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 80 /2022 **तारीख रजू 9.5.22**

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/ 104

उनवान

लक्ष्मी पुत्री विकमसिंह जाति जाट निवासी ग्राम कांचरौली तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

---सायलान---03

बनाम

विक्रमसिंह पुत्र परमाल जाति जाट निवासी ग्राम कांचरौली तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

---गैरसायलान—03

दिनांक	फर्द अहकाम	
9.5.22	**आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। सायलान को कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने, रहन व्यय नहीं करने, बेदखल नही करने, कब्जे काश्त में मजामत नहीं करने हेतु गैरसयाल को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।** **अतः गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2333 रकबा 0.72 है0, वाके ग्राम बुर्जावाडा तहसील हिण्डौन में आगामी तिथी तक रिकॉर्ड एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 06.06.2022 को पेश हों।** (अनुप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली	
6-6-2022	पत्रावली पेश हुई। सायल वकील उपस्थित। सायल व सायल वकील ने अवगत कराया कि सायलान प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते है। सायलान प्रकरण नॉट प्रेस में खारिज कराना चाहते है। अतः मु० न० 80/22 T.I लक्ष्मी बनाम विक्रम सिंह नॉट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)	

[illegible]
NOT PRESS
[illegible]
(देवी सिंह)